न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/44/2022

अपीलांट श्री पदम बोरावत
निवासी मोखाब खुर्द तहसील शिव, बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिव

आदेश

दिनांक : 02.05.2022

अपीलार्थी श्री पदम बोरावत निवासी मोखाब खुर्द तहसील शिव, बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी शिव के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 11.04.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत ऑनलाईन प्रार्थना–पत्र एवं शुल्क की प्रति दिनांक 10.03.2022 संलग्न की गई है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी शिव को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा अपने जवाब में प्रकट किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना तैयार है जिसके कुल 27 पेज 2/– रूपये प्रति पेज के हिसाब से 54/– रूपये शुल्क निर्धारित राजकोष में जमा करवाने के लिए नोटिस द्वारा सूचित करवा दिया गया है, जो आदिनांक अप्राप्त है। लिहाजा प्रस्तुत अपील का उचित निस्तारण किया जावे।

हमने प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन क़िया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलांट द्वारा बावजूद जानकारी आदिनांक नियत शुल्क जमा नहीं करवाया गया है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ [illegible] सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा नियत [illegible] ...नुसार उपलब्ध करवाते हुए प्रार्थना–पत्र का निस्तारण शीघ्र किया जावे। पत्रावली नि[illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी [illegible] सूचनार्थ प्रेषित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:25:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)